आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.20(101) आईटी./आकाशि/ 2019-20/ AISHE/ 1766 दिनांक 03/3/2020

स्मरण पत्र-II

समस्त प्राचार्य
राजकीय /निजी/बीएड महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : **AISHE 2019-20 के लिए DCF-II अंतिम दिनांक 15.03.2020 से पूर्व अपलोड करने बाबत |**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के AISHE पोर्टल (http://aishe.nic.in) पर वर्ष 2019-20 का ऑनलाइन सर्वे दिनांक 01.01.2020 से प्रारम्भ हो चुका है , इस हेतु आपको 29.2.2020 तक अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु आदिनांक तक 43% महाविद्यालयों ने ही अपना DCF-II अपलोड नहीं किया है आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि **आप इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए दिनांक 15.03.2020 से पूर्व अपलोड करवाने का श्रम करें।**

यदि आपके महाविद्यालय का नाम AISHE पोर्टल पर दर्ज नहीं है तो इसे "Request for Adding Institute" लिंक पर अपना request फॉर्म भरें साथ में PDF फॉर्मेट में नवीनतम NOC व affiliation लैटर एक ही फाइल में अपलोड कर सम्बद्धक विश्वविद्यालय से approve करवाना सुनिश्चित करें ।

निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की नीति अनुसार DCF-II अपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है। यदि नियत तिथि तक DCF-II अपलोड नहीं किये गए तो राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। निजी महाविद्यालय अपने नोडल राजकीय महाविद्यालय से तकनीकी मदद के लिए विभागीय आदेश **क्रमांक F4()CCE/Policy/PI/2020/161, दिनांक 31.5.19** का अवलोकन करलें। (ये पत्र विभागीय वेबसाइट पर सम्बंधित तिथि पर उपलब्ध है।)

समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन सामान्य निजी महाविद्यालयों व बीएड महाविद्यालयों को अपने स्तर पर दूरभाष/SMS पर उन्हें निरंतर सूचित करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करें। DCF-II अपलोड करने में यदि निजी महाविद्यालयों/ बी.एड. महाविद्यालयों को तकनीकी सहायता आवश्यक हो तो उन्हें महाविद्यालय में यह सहायता उपलब्ध करवाते हुए उस महाविद्यालय का DCF-II अपलोड संपन्न करवाने का श्रम करें । **इस सम्बन्ध में महाविद्यालय से पत्र व्यवहार करते समय अपने महाविद्यालय के AISHE नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी निजी/बीएड महाविद्यालयों को सूचित करें** जिससे यह कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण हो सके।

इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी व गाइडलाइन्स AISHE पोर्टल http://aishe.nic.in पर उपलब्ध है,। इसी क्रम में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ. पंकज माथुर/डॉ संदीप कुमार/श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है|

(प्रदीप कुमार बोरड, IAS)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा

तिलिपि :

1. डॉ. अर्चना शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, MHRD, नई दिल्ली ।
2. समस्त रजिस्ट्रार सम्बद्धक विश्वविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे संबद्ध महाविद्यालयों को AISHE सर्वे हेतु पृथक से निर्देशित करवाएं जिससे राज्य में 100% निजी एवं बीएड महाविद्यालयों से DCF-II अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जा सके ।
3. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के ऐसे राजकीय महाविद्यालयों को जिन्होंने अपना DCF-II अपलोड नहीं किया है से उनका DCF-II अपलोड करवाने हेतु दूरभाष पर समन्वयन करें, इस हेतु शेष महाविद्यालयों को पृथक से आदेश इनकी ई-मेल ID पर प्रेषित किये जा चुके हैं ।
4. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे इस सर्वे हेतु नोडल राजकीय महाविद्यालयों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कराते हुए समस्त निजी एवं बीएड महाविद्यालयों से भी DCF-II अपलोड करवाने हेतु समन्वयन करावें।
5. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों (विभागीय आदेश **क्रमांक F4()CCE/Policy/PI/2020/161, दिनांक 31.5.19**) को भेज कर लेख है कि अभी तक केवल 43% महाविद्यालयों ने ही अपना DCF-II अपलोड किया है इस लिए शेष समस्त निजी व बीएड महाविद्यालयों से पत्र/ दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर DCF-II अपलोड करवाना सुनिश्चित करें, निजी महाविद्यालयों की सूची hte.rajasthan.gov.in पर लिंक " Colleges" पर उपलब्ध करवा दी गई है ।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा